न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 05 / 2025

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
समीर परिहार पुत्र करण परिहार निवासी– गोकुलवाडी, शिवगंज जिला सिरोही		जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जो जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा क्रमांक प. 21 (1)() न्याय/ 2021 / 1623 दिनाक 05.04.2002 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री श्यामसिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 29 सितम्बर, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक प. 21(1)()न्याय/ 2021 / 1623 दिनाक 05.04.2002 के द्वारा अपीलान्ट नवीन शस्त्र रिवाल्वर हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 03.08.2021 को खारिज कर संचित कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 25.04.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा आयुध अधिनियम 2016 के नियम 11 के अन्तर्गत रिवाल्वर के लिये आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के द्वारा तहसीलदार, शिवगंज, उप वन संरक्षक, सिरोही, जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही से रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर तहसीलदार, शिवगंज, उप वन संरक्षक, सिरोही के द्वारा सकारात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सिरोही के द्वारा यह रिपोर्ट प्रेषित की गई कि अपीलार्थी के आबूपर्वत स्थित होटल व बागसीन में कृषि फार्म है, जिस कारण प्रार्थी घर से आने जाने के दौरान सुरक्षा हेतु रिवाल्वर का अनुज्ञा पत्र लेना चाहता है लेकिन अपीलान्ट को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना पाया जाने से शस्त्र हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही की उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.4.2022 के द्वारा अपीलान्ट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 3.8.2021 को खारिज करते हुए संचित कर दिया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा पुलिस थाना से रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिसमें पुलिस थाना द्वारा सकारात्मक रिपोर्ट प्रेषित की थी, इसके उपरान्त भी जिला पुलिस अधीक्षक ने काल्पनिक आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा कर दी। वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलान्ट को बागसीन में स्थित कृषि फार्म पर आना जाना पड़ता है तथा होटल का व्यवसाय भी है, अपीलान्ट को कई बार अकेले ही रात्रि में भी कृषि फार्म पर जाना पड़ता है। ऐसे में अपीलान्ट को बहुत ज्यादा जान–माल का खतरा रहता है, इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि अपीलान्ट को स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति विशेष से खतरा हो नहीं सकता है। अपीलार्थी को अपनी स्वयं की आत्मरक्षार्थ शस्त्र रखा जाना नितान्त आवश्यक है। ऐसे में प्रार्थी को खतरा नहीं होने सम्बन्धी काल्पनिक रिपोर्ट पेश कर दी गई जो नियमों के विरूद्ध है। इन तथ्यों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदन को खारिज किये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश गुणावगुण एवं वास्तविकता से परे होने के कारण अपाप्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अपीलान्ट का कृषि फार्म ऐसी जगह पर स्थित है, जहां पर आने जाने के लिये सुनसान व दुर्गम क्षेत्रो से होकर गुजरना पडता है। इन मार्गो पर आये दिन लूटपाट, चोरी व आपराधिक घटनाएं कारित होती रहती है। अपीलान्ट अपने साथ धनराशि भी लेकर आता जाता है। ऐसे में अपीलान्ट को स्वयं को अपनी सम्पति को खतरे में डालकर आना जाना पड़ता है, साथ ही कच्ची–पक्की फसल की रखवाली की रात्रि के दौरान रखने हेतु आत्मरक्षा के लिये आयुध की

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आवश्यकता रहती है। जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर मनन किये बिना ही सरकारी तौर पर अपीलान्ट का आवेदन निरस्त कर दिया गया, जो अपास्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21(1)() न्याय/ 20212/1623 दिनाक 5.4.2002 को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट को आयुध अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

6. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अपीलान्ट को नवीन शस्त्र हेतु अनुज्ञापत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 3.8.2021 को सम्बन्धित अधिकारियों से जॉच कराई जाने पर दौराने जॉच अपीलान्ट को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना पाये जाने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञापन आवेदन पत्र को खारिज किया जाकर संचित किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2022 को पारित किया गया है, वो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर, सिरोही के समक्ष अपीलाण्ट ने अपने आवेदन में यह तथ्य अंकित करते हुए आवेदन किया था कि अपीलान्ट को बागसीन में स्थित अपने निजी कृषि फार्म पर आना जाना पड़ता है तथा होटल का व्यवसाय भी है, अपीलान्ट को कई बार अकेले ही रात्रि में भी कृषि फार्म पर जाना पड़ता है। ऐसे में अपीलान्ट को बहुत ज्यादा जान–माल का खतरा रहता है। साथ ही अपीलान्ट को स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति विशेष से खतरा हो सकता है। अपीलार्थी को अपनी स्वयं की आत्मरक्षार्थ शस्त्र रखा जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलान्ट का कृषि फार्म ऐसी जगह पर स्थित है, जहां पर आने जाने के लिये सुनसान व दुर्गम क्षेत्रो से होकर गुजरना पडता है। इन मार्गो पर आये दिन लूटपाट, चोरी व आपराधिक घटनाएं कारित होती रहती है। अपीलान्ट अपने साथ धनराशि भी लेकर आता–जाता है। ऐसे में अपीलान्ट को स्वयं को अपनी सम्पति को खतरे में डालकर आना जाना पड़ता है, साथ ही कच्ची– पक्की फसल की रखवाली भी रात्रि के दौरान रखने हेतु आत्मरक्षा के लिये आयुध की आवश्यकता रहती है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

8. अपीलान्ट के उक्त आवेदन के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही के द्वारा यह रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि अपीलार्थी के आबूपर्वत स्थित होटल व बागसीन में कृषि फार्म अवश्य है, जिस कारण प्रार्थी घर से आने जाने के दौरान सुरक्षा हेतु रिवाल्वर का अनुज्ञा पत्र लेना चाहता है लेकिन अपीलान्ट को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना पाया जाने से शस्त्र हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही की उक्त रिपोर्ट के आधार जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.4.2022 के द्वारा अपीलान्ट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 3.8.2021 को खारिज करते हुए संचित कर दिया गया। अपीलान्ट ने अपनी जान–माल की सुरक्षा को खतरा बताते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है परन्तु उन पर पूर्ववर्ती समय में कभी इस प्रकार का खतरा हुआ हो अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उन पर हमला किया गया हो और उनके द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हो, ऐसे कोई साक्ष्य न तो अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे उनके कथनों को बल मिलता हो। मात्र काल्पनिक कथनों/तथ्यों के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर शस्त्र क्रय किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इन सभी तथ्यों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदन दिनांक 3.8.2021को खारिज कर संचित कर दिये जाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2022 पारित किया गया है, वह पूर्ण रूप से उचित एवं विधि के अनुकूल पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर